(19)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

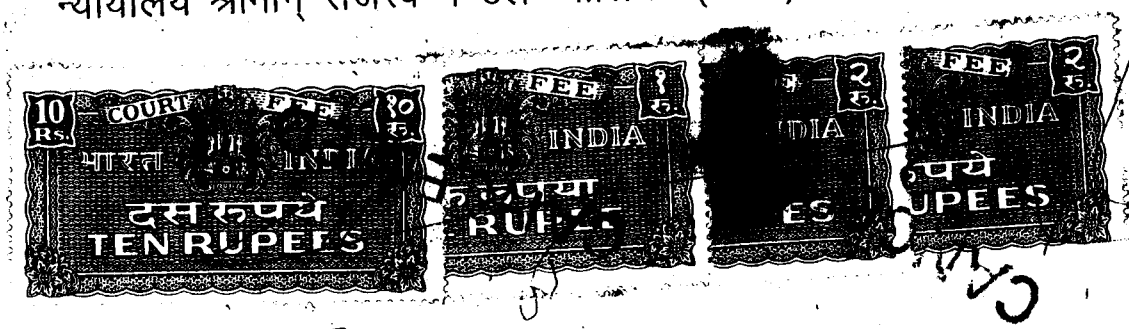

R- 671-III/2008

1– विश्वामित्र तनय श्री जगन्नाथ, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती

2– संजीव कुमार तनय श्री जगन्नाथ, उम्र 37 वर्ष, पेशा खेती

दोनो निवासी ग्राम जलैया, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

———निगरानीकर्तागण

बनाम

1– मारकण्डेय प्रसाद तनय श्री जगन्नाथ, उम्र 50 वर्ष

2– कौशल प्रसाद तनय श्री जगन्नाथ, उम्र 47 वर्ष

3– वेदव्यास तनय श्री जगन्नाथ, उम्र 35 वर्ष

4– भारद्वाज़ तनय श्री जगन्नाथ, उम्र 30 वर्ष

सभी का पेशा खेती, सभी निवासी ग्राम जलैया, पो0- बसरेही - थाना जवा तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

16/6/08

श्री ... श्रीवास्तव अधि0 द्वारा आज दि0 16/6/08 को प्रस्तुत।
16-6-08
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्र0 29/निग0/07–08

आदेश दिनांक 04/06/2008

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय उप–तहसील जवा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा के समक्ष निगरानीकर्तागण के विरूद्ध इस आशय का आवेदन अंतर्गत धारा 178 प्रस्तुत किया गया कि आराजी क्र0 20/1ख/0.02 ए0, 21/1ग/0.06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 671–तीन/08 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–3–17	आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0पी0 द्विवेदी उपस्थित । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 29/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदकगण अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया और न ही प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सूचना ही जारी की गई। प्रकरण क्र0 90/अ–27/2004–05 में जिन भूमियों का बटनवारा नामांतरण किया गया है निगरानीकर्तागण की क्रय की हुई स्व–अर्जित भूमियां है। अनावेदकर्तागण सहखातेदार नहीं थे, न ही भूमियां संयुक्त परिवार की है, जिनके संबंध में फर्जी कार्यवाही कर अवैध नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जिसके संबंध में अपर आयुक्त रीवा द्वारा विचार किये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया	

है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय रीवा के आदेश दिनांक 04.06.2008 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने अपने लिखित तर्क में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक आर0 29/निगरानी/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2008 विधि, प्रक्रिया एवं न्यायिक नियमों के सर्वथा अनुकूल है। उन्होंने यह भी लिखित तर्क दिया कि निगरानीकर्तागण द्वारा पुनरीक्षणाधीन भूमियों के सम्बंध में यह भी तथ्य बताया गया है कि पुनरीक्षणाधीन भूमियां निगरानीकर्तागण की स्वअर्जित भूमियां है। उपरोक्त तथ्य पूर्णतः बनावटी, असत्य व अवैधानिक है। सही तथ्य यह है कि समस्त भूमियां सम्मिलित परिवार की है, विचारण न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की जांच कर आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्तागण द्वारा प्रश्नगत भूमियों के सम्बंध में ही निगरानी मेमों व तर्क में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर ही न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 त्योंथर, जिला– रीवा(म0प्र0) के समक्ष स्वत्व घोषणा एवं दखलयावी प्राप्ति हेतु व्यवहार वाद संस्थित किया गया था जो व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक 53ए/13 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2016 के तहत निरस्त कर दिया गया है। माननीय व्ययवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है। फलतः निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2016 के तहत भी निगरानीकर्तागण की निगरानी सर्वथा अपास्त किये जाने

योग्य है। इस न्यायालय में अवलोकनार्थ हेतु निर्णय व डिक्री दिनांक 23.02.2016 की प्रति लिखित तर्क के साथ संलग्नित की है। उनके द्वारा यह भी लिखित तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश भू0–राजस्व संहिता में वर्णित उपबंधों का पालन करते हुये आदेश दिनांक 08.03.2006 के तहत बटवारा नामांतरण संबंधी आदेश पारित किया गया है जो निगरानीकर्तागण की पूर्ण सहमति से था, बाद में पारिवारिक दुराभाव के कारण निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बेरूम्याद अपील प्रस्तुत की गई जो प्रारम्भतः ही प्रचलनशील नहीं थी। अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्रचलनशीलता के बिन्दु पर चुनौती दी गई, जिस पर अनुविभागी अधिकारी ने सही निष्कर्ष नहीं निकाला, फलतः गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ अपर कलेक्टर, जिला–रीवा के समक्ष उपंरोक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा सी0पी0सी की धारा 96(3) के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुये यह माना गया कि अपील ग्राह्य योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिवत परीक्षण किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। उक्त अवैधानिक आदेश से क्षुब्ध होकर गैर निगरानीकर्तागण द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत परीक्षण करते हुये आदेश दिनांक 04.06.2008 के तहत गैर निगरानीकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई है । समग्र रूप से

यह प्रमाणित है कि निगरानीकर्तागण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वैधानिक उपबंधों के विपरीत व आधारहीन तथ्यों पर निगरानी प्रस्तुत की गई है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.06.2008 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में गैर निगरानीकर्तागण द्वारा आपसी हिस्सा बटवारा पुल्ली के आधार पर नामांतरण बावत् आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था। निगरानीकर्तागण के बटवारा पुल्ली में हस्ताक्षर से बटवारा पुल्ली में हस्ताक्षर बने है साथ ही तहसीलदार की पदमुद्रा व हस्ताक्षर से बटवारा पुल्ली प्रमाणित भी है। विचारण न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 01.03.2006 में भी निगरानीकर्तागण ने भी हस्ताक्षर किये है व विचारण न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर सहमति का जवाब भी प्रस्तुत किया है। पहचान संगमलाल तिवारी व कामता प्रसाद, निवासी–ग्राम किरहाई द्वारा की गई है। इस तरह विचारण न्यायालाय ने वैधानिकता नामांतरण आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने म्याद एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) की अनदेखी व उल्लंघन करते हुये अपील को पंजीबद्ध किया है । सहमति के पश्चात पारित आदेश की अपील विधि अनुसार वर्जित है। अपर कलेक्टर ले अपने निष्कर्ष में

उल्लिखित किया है कि इस प्रकरण में धारा 96(3) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। उक्त निष्कर्ष कतई मान्य किये जाने योग्य नहीं है। धारा 96(3) ऐसे मामलों पर ही प्रयोज्य है। अन्यथा न्याय का उदेदश्य निष्फल हो जावेगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है। सिविल न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में निर्णय एवं डीक्री जारी किया गया है। चूँकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों में बंधनकारी है। वर्तमान प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा विस्तृत डिक्री पारित की गई है, ऐसे में उसमें हस्तक्षेप की आवश्कता की अधिकारिता प्रतीत नहीं होती। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2008 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य